

**कार्यालय
राज्य, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
राज्य प्रवेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथि/परिषद सन्ख्या/2019/1132

तखनक: दिनांक: 15-5-2019

:-कार्यालय द्वारा:-

अखिल भारतीय राजकीय शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2018-20 हेतु विदेशी राष्ट्रीय राजकीय शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संख्या संख्या/सम्ख्या/ विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संख्या संख्या ने परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2018-20 हेतु अधिदेित कई संस्थाओं को सम्ख्या/पूर्व से संश्लित संस्थाओं का सम्ख्या/विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कपी हेतु सत्र 2018-20 हेतु सम्ख्या प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुषंग में सम्ख्या समिति की बैठक को 15-5-17 में विधेयता इन कार्मनी पाठ्यक्रम संश्लित करने वाली गई संख्या का प्रकल्प रखा गया। सम्ख्या समिति द्वारा गहन विचार-विश्लेष कर निम्नानु निर्णय लिया गया -

“ऐसी नवस्थापित डिप्लोमा इन कार्मनी संख्याएं जिन्हें सत्र 2018-20 हेतु ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पी0सी0आई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरान्त ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुसूच सत्र 2018-20 हेतु परिषद से सम्ख्या प्रदान किये जाने हेतु संसुति प्रदान की गयी है, के संख्या में समिति द्वारा विचार-विश्लेष किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पी0सी0आई0 अनुमोदन पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्रकल्प वर्ष में प्रवेश के संख्या में बैठक आहूत कर ली जाये जिससे संश्लित संस्थाओं को संसुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग में सम्मिलित कराया जा सके।”

उक्त निम्नानुसार संश्लित संख्या को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विचार-विश्लेष द्वारा की गयी संसुति तथा सम्ख्या समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संख्या द्वारा सत्र 2018-20 हेतु निम्नलिखित क्षत्री के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अधिदेित प्रवेश क्षमता हेतु सम्ख्या प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संख्या सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2018-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2018-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1204	बंकरा कार्मनी कॉलेज, गन्धर्व-12, दिल्ली-दिल्ली-110028, बरेली, पी.ए. दुर्गाचरण-221001	विधेयता इन कार्मनी	80	80

सम्ख्या हेतु नवी

- ✓ संख्या ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी क्षत्री का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संख्या राज्य प्रवेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विदेशी राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान करने की क्षत्री तथा संख्या निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित संख्या की क्षत्री पाठ्यक्रमों हेतु रु० 20,000.00/- इतिवर्ष, की क्षत्री कार्मनी पाठ्यक्रम हेतु रु० 25,000.00/- इतिवर्ष एवं एक क्षत्री की क्षत्री पाठ्यक्रमों की क्षत्री कार्मनी पाठ्यक्रम के

अतिरिक्त हेतु क्र०- 22500-02 वरीयता सूचक की प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। वरीयता के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से सूचक के सम्बन्ध में समझ-संवाद या वार्ता द्वारा किया किये जाने वाले सफलतापूर्वक प्रयासों होगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाता सम्भवक होना। सीएम विज्ञान समिति द्वारा यदि सत्र 2018-20 हेतु सीट का पुनर्वितरण किया जाता है, तो सीट की वरीयताओं को लागू होगी।

- ✓ सूचक को (सत्र 2018) वरीयता सूचक समितिओं तथा एम.सुविधियों, संस्थाओं को सम्बन्ध किया जाये। विनिष्ठाकारी-2003 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित सीटों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के वितरण एवं जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समाप्त-समाप्त एवं निर्दिष्ट सामग्रीयों को अनुसार विज्ञान एवं सम्बद्धता सुचक जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एम्प्लॉयमेंट/रिजिडेंस से जुड़ानी सत्र हेतु अनुपालन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये विधि/विधानों/अतिरिक्तियों/सफलतापूर्वक/निर्देशों एवं निर्देशक वरीयता सूचक, प्रवेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश वरीयता सूचक समिति, एम्प्लॉयमेंट/रिजिडेंस द्वारा बनाये गये विधानों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बध्य होगी।
- ✓ विधायक इन वरीयता सूचक की संस्थाएं यदि वे सीटों/सीटों/सीटों में अनुपालन प्राप्त करने में असमर्थ होती है तो इस संबंध में समाप्त एम्प्लॉयमेंट सूचक का होना और विधिक रूप से किसी की कार्यवाही के लिए संस्था लागू कार्यवाही होगी। वरीयता सूचक समिति, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, वरीयता सूचक समिति एवं वरीयता सूचक समिति द्वारा प्रवेश परीक्षा परीक्षा की कोई एक प्राप्त किया जाता है तथा समय बाद की संस्था में ना.प्राप्तताएं प्राप्त किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी प्रवेश परीक्षा किया जाता है तो समाप्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को जाननी होगी।
- ✓ विधायक इन वरीयता सूचक समिति करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवंटित प्रवेश परीक्षा हेतु आवंटित प्रवेश होने के पूर्व एम्प्लॉयमेंट के अनुपालन प्राप्त कर वरीयता सूचक को प्राप्त करना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (अनुपालन) के सम्बन्ध में अथवा संस्था सत्र एवं वरीयता सूचक अनुपालन नहीं प्राप्त की जायेगी।
- ✓ एम्प्लॉयमेंट सूचक द्वारा प्रवेश हेतु निर्दिष्ट कार्यवाही सम्बन्धित विधानों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अथवा वेबसाइट पर संस्था की सफलता सूचक जैसी संस्था की वरीयता सूचक, प्रवेश, समाप्त-समाप्त, समाप्त, प्रवेश किया जाने वाला सुचक, प्रवेशता सूचक आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को विधान-वरीयता हेतु वरीयता सूचक समिति सम्बन्धित करने की सत्र रीति रीतियों के सम्बन्ध में समाप्त आवश्यक जानकारी सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ प्रवेश एवं सुविधियों को ले कि संस्था में एम्प्लॉयमेंट/संस्था वरीयता सूचक को बनाने जाने हेतु निर्दिष्ट समिति के सम्बन्धित जानकारी बनाने वरीयता सूचक, सुविधा-समाप्त, वरीयता, सम्बन्धित जानकारी का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परामर्श के सम्बन्ध में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था वरीयता का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए बना रही है तो उत्तर प्रदेश संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धित किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विधानसभा अनुपालनसम्बन्धित कार्यवाही की जायेगी।

(राजीव कुमार मिश्र)
सचिव

सूचक- वरीयता/परिषद सम्बद्धता/2018/1103-2302

तद दिनांक 13-5-2018

प्रतिलिपि-प्रशासक/निदेशक, संस्था कार्यवाही बॉम्बेज, एम्प्लॉयमेंट-08, विज्ञान-वेबसाइट, बनारस, बसेरा रोड, मुजफ्फरपुर-251007

(राजीव कुमार मिश्र)
सचिव





कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1094-KESHAV PHARMACY COLLEGE NH-58,VILL-TEJALHERA BARLA-BASERA ROAD,MUZAFFRANAGAR-251307			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (30प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 30प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, KESHAV PHARMACY COLLEGE NH-58, VILL-TEJALHERA BARLA-BASERA
ROAD, MUZAFFRANAGAR-251307



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव